भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1025
उत्तर देने की तारीख 29.07.2024

अनुभवी कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता/पेंशन योजना

1025. **श्री संजय उत्तमराव देशमुख :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2018 से 2024 की अवधि के दौरान वृद्ध कलाकार पेंशन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के यवतमाल, वाशिम जिले से प्राप्त आवेदनों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्राप्त कुल आवेदनों में से कितने आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई; और

(ग) अनुभवी कलाकारों की आजीविका का समर्थन करने के लिए उक्त योजना के अंतर्गत किए गए विशेष प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): संस्कृति मंत्रालय "वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता" नामक स्कीम संचालित करता है, जिसके तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले उन वरिष्ठ कलाकारों को 6000/- रु. प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी वार्षिक आय 72000/- रु. से अधिक नहीं है और जिन्होंने अपनी सक्रिय आयु में कलाओं, साहित्य आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है या अभी भी योगदान दे रहे हैं, परन्तु वृद्धावस्था के कारण नियमित आय जुटाने में असमर्थ हैं। तथापि, इस स्कीम के अंतर्गत कलाकारों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता सीसीएस (पेंशन) नियमावली द्वारा नियंत्रित औपचारिक रूप से प्रदान की जाने वाली कोई पेंशन नहीं है।

इस स्कीम के अंतर्गत 2018 से 2024 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र के यवतमाल और वाशिम जिलों के संबंध में प्राप्त, अनुशंसित और अनुमोदित आवेदन अनुलग्नक पर दिए गए हैं।

(ग): सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहा है कि इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु वयोवृद्ध कलाकारों की सहायता की जाए। विगत कुछ वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों की कठिनाइयों का समाधान करने हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(i) जून, 2022 से इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता की राशि को 4000/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 6000/- रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है;

(ii) अब प्रत्येक वर्ष आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब इसे पांच वर्षों में एक बार प्रस्तुत करना अपेक्षित है;

(iii) पूर्व में, इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक कलाकार के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कम से कम 500/- रुपये प्रति माह की कलाकार पेंशन प्राप्त करना अनिवार्य था। इस शर्त में छूट दे दी गई है और यदि आवेदक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से कलाकार पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है तो उस मामले में भी अब संबंधित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी)/संस्कृति मंत्रालय द्वारा उसके कलात्मक पूर्ववृत्त का सत्यापन और अनुशंसा करने का प्रावधान है।

(iv) चयनित कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता का सुचारू रूप से और समयबद्ध संवितरण सुनिश्चित करने हेतु, दिनांक 28.06.2023 को कैनरा बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

*****

अनुलग्नक

'अनुभवी कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता/पेंशन योजना' के संबंध में दिनांक 29 जुलाई, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या *1025 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष	प्राप्त आवेदन		अनुशंसित और अनुमोदित आवेदन	
	यवतमाल जिला	वाशिम जिला	यवतमाल जिला	वाशिम जिला
2018-19	1	0	0	0
2019-20	16	1	4	0
2020-21	2	0	2	0
2021-22	13	7	6	5
2022-23	30	13	6	3
2023-24	97	10	6	0
कुल	**159**	**31**	**24**	**8**